फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

हरनाथ पुत्र कल्याण मीणा निवासी रूपारेल वगैरह

बनाम

अनिता पत्नी रमेश मीणा निवासी गाड़ोली वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 238/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रूपारेल प.ह. झंझोला आराजी सं. 125, 132, 134, 114, 135, 117, 122 कुल किता 07 रकबा 0.8904 हेक्टेयर भूमि स्थित है | अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है | अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें | प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है | मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी | पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है | प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है | ग्राम रूपारेल प.ह. झंझोला आराजी सं. 125, 132, 134, 114, 135, 117, 122 कुल किता 07 रकबा 0.8904 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक महुआ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है | कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे | **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें | पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें | **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** | पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें | आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया | उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 238/2024 दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:-- प्र.सं. 238 / 2024 अनवान हरनाथ पुत्र कल्याण मीणा निवासी रूपारेल, जगन्नाथ पुत्र कल्याण मीणा निवासी रूपारेल बनाम अनिता पत्नी रमेश मीणा निवासी गाड़ोली, रामचन्द्र पिता खाना मीणा निवासी रूपारेल, जालमा पुत्र भागुता मीणा निवासी रूपारेल, करणा पुत्र छोटू मीणा निवासी रुपारेल, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रूपारेल प.ह. झंझोला आराजी सं. 125, 132, 134, 114, 135, 117, 122 कुल किता 07 रकबा 0.8904 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक महुआ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner